

राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर-302017


विषय:- प्रशिक्षु अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

प्रायः यह ध्यान में आया है कि संस्थान में चल रहे राजस्थान राज्य सेवाओं के आधारभूत पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा अवकाश की मांग की जा रही है।

अतः सभी सह-पाठ्यक्रम निदेशक,

(1) नव चयनित प्रशिक्षुओं को 18 अक्टूबर, 2019 तक अधिकतम 6 सी.एल. देय है। अतः आप अपने स्तर पर अधिकतम 6 सी.एल. स्वीकृत करने हेतु अधिकृत है। सी.एल. स्वीकृत कर, उप निदेशक (प्रशासन-11) को रिकार्ड हेतु माह के अन्त में प्रस्तुत करें तथा अपने सेक्शन में इस बाबत रजिस्टर कर इसका इन्द्राज करें। यह ध्यान रखें कि कोई विशेष परिस्थिति (अपरिहार्य) पर ही सी.एल. स्वीकृत करें। विशेष परिस्थिति क्या है इसका निर्णय सह-पाठ्यक्रम निदेशक अपने स्तर पर लेवें।

(2) ई.ओ.एल. अथवा असाधारण अवकाश हेतु प्रशिक्षु अधिकारियों से प्रार्थना पत्र लेकर, आधारभूत प्रशिक्षण अनुभाग को प्रस्तुत करें। आधारभूत प्रशिक्षण अनुभाग अवकाश पत्र को सम्बन्धित विभाग (प्रशिक्षु के नियोक्ता अधिकारी) को प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित विभाग से प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति आने के पश्चात् ही प्रशिक्षु अधिकारी अवकाश पर जा सकेंगे।



(डॉ. भागचन्द्र बधाल)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
पाठ्यक्रम निदेशक (आधारभूत प्रशिक्षण)


समस्त सह-पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. मधुलिका अरोड़ा

आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

हचमा रीपा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक:F.18(1)/SS/RIPA/2019/427

दिनांक: 17.07.2019



पाठ्यक्रम निदेशक (आधारभूत प्रशिक्षण)